प्राचार्य का कार्यालयः श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

ज्ञापांकः------------/ मुज0, दिनांकः-------------------/

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 के कम में स्वास्थ्य निदेशालय ज्ञापांक 1531(4) दिनांक 14.10.2023 एवं ज्ञापांक 1543(4) दिनांक 18.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निहित शर्त्तों के अधीन स्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 08.12.2023 में लिये निर्णय व अनुशंसा के आलोक में प्राचार्य कार्यालय श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 के नियमित स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित चालक को आदेश निर्गमन की तिथि से तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद चालक ग्रेड–2 का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कमांक	नाम एवं वरीयता कमांक	आरक्षण कोटि	पूर्व का वेतन स्तर	प्रोन्नति पश्चात देय वेतन स्तर	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री शिवरत्न दास वरीयता कमांक–1	अति पिछड़ा वर्ग	पे लेवल–6	पे लेवल–5	06.10.1994	05.01.1971	अष्टम उत्तीर्ण	01.01.1998	
2	श्री विकेश कुमार प्रसाद वरीयता कमांक–2 .	अनुसूचित जाति	पे लेवल–2	पे लेवल–5	17.09.2007	01.12.1979	इन्टरमीडिएट	31.12.2010	

1. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल में प्रभावित होने की शर्त्त पर औपबंधिक रूप से उपरोक्त कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की जा रही है।
2. सभी प्रोन्नति चालक को आदेश दिया जाता है कि प्रोन्नत पद पर तत्काल अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेगे ।
3. पूर्व से एम.ए.सी.पी. के तहत जिन कर्मियों को लेवल–5 या इससे उच्चतर लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
4. नियमित प्रोन्नति की प्रकिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यदपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।

ह0/–
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1592(A)/23 मुज0, दिनांकः– 12/12/23

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऍं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/बरसर/लेखापाल/स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कर्मियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Abha Rani Sinha 12/12/23.
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

1592/23 12/12/23

प्रतिलिपिः– प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/ब्रसर/लेखापाल/स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कर्मियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Abha Rani Sinha 12/12/23.

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

12/12